॥ ओ३म् ॥ 9946/2022

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

17 JUN 2022

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 064117

विलेख का संक्षिप्त विवरण

लीज डीड

1. लीजडीड वार्षिक	-	12,000/- रूपये
2. नियमानुसार 6 गुना लीजडीड	-	72,000/- रूपये
3. स्टाम्प दर	-	4 प्रतिशत
4. कुल स्टाम्प	-	3,000/- रूपये
5. समय	-	30 वर्ष
6. मौजा	-	मानिकपुर
7. परगणा	-	मोहम्मदाबाद

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

2

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

17 JUN 20[illegible]

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 064110

हम कि रविनाथ सिंह डिग्री कालेज मानिकपुर फर्रुखाबाद द्वारा प्रबन्धक अजयपाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह सिविल लाइन्स फूस बंगला फतेहगढ़ जिला फर्रुखाबाद प्रथम पक्ष मालिक जायदाद लीज पर देने वाले मोबाइल नं0 9415167660 व श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति, ग्राम मानिकपुर, पोस्ट जैतपुर तहसील सदर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209602 द्वारा प्रबन्धक/सचिव अजय पाल सिंह पुत्र श्री रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मोबाइल नं0 9415167660 द्वितीय पक्ष लीज पर लेने वाले विदित हो कि एक किता आराजी खाता संख्या 00136 नम्बर खसरा 133 रकवा 1.7230हे0 में से 1.0120हे0 से 0.8110हे0 यानि 8110 वर्गमीटर स्थित मौजा मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद तहसील

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

17 JUN 2021

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 064119

सदर जिला फर्रुखाबाद जिसका प्रथम पक्ष मालिक व काबिज व दखील है। चूंकि उपरोक्त लिखी भूमि एवं भवन और खाली जगह मुझ प्रथम पक्ष की किसी प्रयोग में नहीं आ रही है और द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह को लीज पर लेने को तैयार है इस कारण हम दोनों पक्ष के मध्य निम्नलिखित शर्तो के तहत पाबन्द होते हुये यह लीज डीड तहरीर करते है और लिख देते है कि लीज डीड की प्रत्येक शर्त पाबन्दी हम दोनों पक्ष तथा हमारे वारिसान पर अनिवार्य लागू होगी सरायत इस प्रकार है कि :–

1. यह कि मुझ प्रथम पक्ष ने उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह स्थित मौजा मानिकपुर परगना मोहम्मदाबाद जनपद फर्रुखाबाद को

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

क्रम संख्या
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन
आवेदन सं०: 202200832012354
स्टाम्प क्रेता का नाम व पता
स्टाम्प की धनराशि

राजीव कुमार श्रीवास्तव
स्टाम्प विक्रेता
बही सं०:
लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सं०: 9946

निरीक्षित
23 JUN 2022
कोषाध्यक्ष-फर्रुखाबाद
स्थान-फतेहगढ़

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

वर्ष: 2022

पट्टा दाता: 1

श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज के द्वारा अजयपाल सिंह , पुत्र श्री रविनाथ सिंह

निवासी: सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

व्यवसाय: अन्य

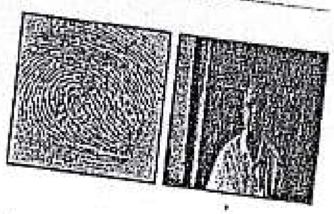

पट्टा गृहीता: 1

श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति के द्वारा सचिव अजय पाल सिंह , पुत्र श्री रविनाथ सिंह

निवासी: सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद

व्यवसाय: अन्य

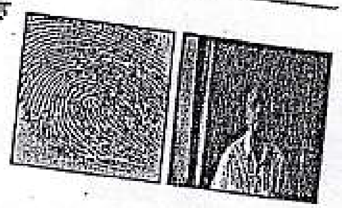

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अम्बुज सिंह , पुत्र श्री गजाधर सिंह

निवासी: रकाबगंज खुर्द टाउन हाल तह० सदर फर्रुखाबाद

व्यवसाय: अन्य

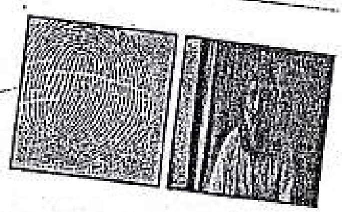

पहचानकर्ता : 2

श्री कुलदीप भारद्वाज , पुत्र श्री रामप्रकाश भारद्वाज

निवासी: बजरिया हरलाल शहर फर्रुखाबाद

व्यवसाय: अन्य

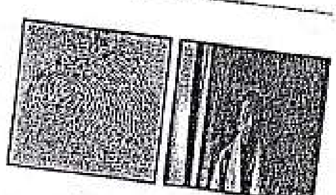

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

प्रभारी महेन्द्र सिंह .
उप निबंधक : सदर
फर्रुखाबाद
02/07/2022

निबन्धन लिपिक सदर
निबंधक लिपिक फर्रुखाबाद
02/07/2022

प्रिंट करें

द्वितीय पक्ष को दिनांक 02.07.2022 से 01.07.2052 के लिये यानि 30 (तीस) वर्ष के लिये लीज पर देने का अनुबन्ध किया है। और बाबत लीज शुदा कब्जा व दखल जगह पर द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से प्राप्त कर लिया है।

2. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त लिखी जगह व भवन खाली जगह पर लीज दिनांक से 30 वर्ष तक पूर्णतया अधिकार रहेगा।

3. यह कि द्वितीय पक्ष श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति, ग्राम मानिकपुर, पोस्ट जैतपुर तहसील सदर फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश 209602 द्वारा प्रबन्धक/सचिव अजय पाल सिंह पुत्र रविनाथ सिंह निवासी सिविल लाइन फूस बंगला फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मोबाइल नं0 9415167660 चलाने की समस्त कार्यवाही पूरी कर शैक्षणिक संस्थान से सम्बन्धिक लीज शुदा जगह को शैक्षणिक संस्थान के कार्यों में ही प्रयोग कर सकेगा।

4. यह कि द्वितीय पक्ष लीज शुदा जगह पर अपनी सुविधा अनुसार स्थाई व अस्थाई निर्माण कर सकेगा जिसमें प्रथम पक्ष की रजामंदी की आवश्यकता नहीं होगी।

5. यह कि लीज करार/लीज की अवधि 30 वर्ष से पूर्व नहीं समाप्त होगी।

6. यह कि लीज की अवधि सीमा समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष को उपरोक्त लिखी जगह व भवन व खाली जगह खाली कर प्रथम पक्ष को कब्जा दखल सौप देंगा और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई दावेदारी करेगा और यदि करेगा तो प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत लीजशुदा भूमि खाली करा लेवे जिसके समस्त हर्जे-खर्चे को देन का मुस्तहिक द्वितीय पक्ष होगा।

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
मानिकपुर-फर्रुखाबाद

7. यह कि द्वितीय पक्ष यदि व्यवसाय करने हेतु किसी संस्था या साहूकार या बैंक आदि से कर्ज लेता तो उसकी सारी जिम्मेदारी कर्ज लेने वाली की ही होगी एवं साहूकार का लीजशुदा जायदाद से कोई सरोकार नही होगा यदि साहूकार या बैंक लीजशुदा जायदाद पर कब्जा करते है। तो उसे अवैध समझा जावेगा यह भी विदित रहे कि प्रबन्धक/सचिव अजय पाल सिंह को प्रबन्धक समिति के समस्त सदस्य की बैठक द्वारा लीज एवं सभी कार्य करने के लिये चुना गया है अतः हम दोनों पक्षों ने खूब सोच समझकर स्थिर बुद्धि की पूर्ण सचेत दशा में यह लीज डीड लिख दिया प्रमाण रहे समय पर काम आवे।

<u>गवाह</u> (1) :

अम्बुज सिंह पुत्र श्री गजाधर सिंह
नि0 रकाबगंज खुर्द टाउनहाल
तह0 सदर जिला फर्रुखाबाद
मो0नं0 : 9452605874

<u>गवाह</u> (2) :

कुलदीप भारद्वाज पुत्र श्री रामप्रकाश भारद्वाज
नि0 बजरिया हरलाल शहर फर्रुखाबाद
मो0नं0 : 9889021374

<u>तारीख तहरीर</u> : 02.07.2022
<u>टंकण</u> : आजम
<u>ड्राफ्टडकर्ता</u> : रामसनेही यादव "मुन्ना" एडवोकेट सदर तहसील जिला फर्रुखाबाद।
मो0 नं0 : 9452608539

प्रबन्धक
श्री रविनाथ सिंह डिग्री कालेज समिति
पानिकपुर-फर्रुखाबाद

आवेदन सं०: 202200832012354

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12075 के पृष्ठ 85 से 94 तक क्रमांक 9946 पर दिनाँक 02/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी महेन्द सिंह .
उप निबंधक : सदर
फर्रुखाबाद
02/07/2022